1	2	
03/03/2025	प्रकरण प्रस्तुत। - राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग से कुल 10 वृक्ष के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त। अवलोकन किया। - प्रकरण में वृक्ष काटने संबंधी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है। पृथक से संलग्न है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दा० दे० हो।	

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
नगरी, जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़)

प्ररूप–ग
{नियम 3 (2) देखिये}

अनुज्ञा

क्रमांक /302/ अ.वि.अ. / 2025 नगरी, दिनांक 03 / 03 / 2025

प्रति,

तरवीन ध्रुव पिता रामजी ध्रुव
जाति गोंड़ निवासी ग्राम कुकरेल
तहसील कुकरेल जिला धमतरी

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

----000----

विषयांतर्गत आपके द्वारा ग्राम कुकरेल प.ह.न. 3 तहसील कुकरेल जिला धमतरी में भूमिस्वामी हक में स्थित भूमि खसरा नम्बर 807 / 2 एवं 807 / 3 रकबा क्रमशः 0.80, 0.80 हे. में स्थित प्राकृतिक रूप से उगे धावड़ा, बेहड़ा, बीजा, भिरहा, महुआ, मोदे, हर्रा प्रजाति कुल 56 वृक्ष को काटने की अनुज्ञा हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण उपरांत राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग द्वारा मार्किंग बुक सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24 नवम्बर 2022 अधिसूचना क्रमांक एफ 4–03 / सात–1 / 2022 में दिये गए प्रावधान के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में, एक खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।

इस प्रकार आवेदक के आवेदन, अभिलेख, स्थल निरीक्षण एवं दिये गए प्रावधान के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ग्राम कुकरेल प.ह.न. 3 रा.नि.म. कुकरेल तहसील कुकरेल जिला धमतरी स्थित भूमि खसरा नम्बर 807 / 2 एवं 807 / 3 रकबा क्रमशः 0.80, 0.80 हे. में स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति– **मौहा 06 नग, बीजा 01 नग, मोयन 01 नग, बहेड़ा 02 नग प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष है, जिसे कटाई हेतु जांच प्रतिवेदन में चिन्हांकित किया गया है,** को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधो का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्तानुसार वन विभाग के मार्किंग बुक के **स.क्र. 51, 52, 55, 14, 09, 08, 06, 04, 62, 63 कुल 10 वृक्ष** को वृक्ष कटाई की अनुज्ञा दी जाती है, जो निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा–

1. प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा।
2. वनमण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए, कुल मूल्य का 95 प्रतिशत् राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करायेंगे। एवं शेष 05 प्रतिशत् राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 05 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वृक्ष अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़

क्रमांक /303/ अ.वि.अ. / 2025 नगरी, दिनांक 03 / 03 / 2025

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर, जिला–धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला धमतरी को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी, धमतरी तहसील नगरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार कुकरेल को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़